भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2629

दिनांक 05 अगस्त, 2025

एनआरआरआई द्वारा विकसित जीनोम संवर्धित धान

2629. डॉ. सी.एम.रमेश:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (एनआरआरआई) द्वारा विकसित जीनोम संवर्धित धान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनआरआरआई ने इन चावल किस्मों संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त कर लिए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों को व्यावसायिक खेती के लिए ये बीज कब तक उपलब्ध होंगे; और

(घ) 'जीएम-मुक्त भारत गठबंधन' द्वारा उठाई गई आपत्ति, जिसमें दावा किया गया है कि उपरोक्त दोनों किस्मों में मनुष्यों को क्षति पहुँचाने और पर्यावरण को हानि पहुँचाने की क्षमता है, पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (NRRI) ने कोई जीनोम एडिटिड धान विकसित नहीं की है।

(घ) : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC), भारत सरकार ने दिनांक 30 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. फाइल सं. C-12013/3/2020-CS-III के माध्यम से जीएम विनियमन नियमों (नियम 1989 का नियम 7-11) से एक्सोजिनियस इंट्रोड्यूस्ड डीएनए से विमुक्त साईट- डायरेक्टिड न्यूक्लीज़-1 (एसडीएन 1) तथा साईट-डायरेक्टिड न्यूक्लीज़-2 (एसडीएन 2) जीनोम एडिटिड फसल को छूट दी है। इसके अलावा, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने जीनोम एडिटिड पादपों के सुरक्षा मूल्यांकन, 2022 के लिए ओ.एम.सं. फा.सं. PID-15011/1/2022-PPB-DBT दिनांक 17.5.2022 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए हैं और "एसडीएन-1 तथा एसडीएन-2 श्रेणियों के तहत जीनोम एडिटिड पादपों की विनियमन समीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)" हेतु ओ.एम.फाइल सं. PID-15011/1/2022-PPB-DBT दिनांक 4/10/2022 को जारी किया गया है।

****